संख्या-5/512/38-3-2016-16(अधि0)/2012टीसी-2

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक- 13 अप्रैल, 2016

विषय:- प्राविधिक अधिकारी के पद की अर्हकारी सेवावधि को शिथिल करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ0-65/स्था0-3/2015, दिनांक 24-7-2015 तथा पत्र संख्या-जी0ओ0-113/स्था0-3/2015, दिनांक 18-09-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राविधिक अधिकारी के पद की अर्हकारी सेवावधि को शिथिल करने का अनुरोध किया गया है।

2- शासन के पत्र संख्या-10/2015/317/38-3-2015-16(अधि0)/2012टीसी-2, दिनांक 15 मई, 2015 द्वारा प्राविधिक अधिकारी के पद को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के समान मानते हुए समान वेतनमान अनुमन्य कराया गया है तथा प्रशासनिक अधिकारी के पद से शत् प्रतिशत पदोन्नति किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 के नियम-7(5) की व्यवस्थानुसार ही प्राविधिक अधिकारी के पद पर ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक और प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर कुल मिलाकर कम से कम पंद्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए पात्रता क्षेत्र में विस्तार की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in